49857/2019/CLR-Comp

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019—आषाढ़ 28, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 11th July 2019

CORRIGENDUM

No. 3511-2019-XXI-B-(One).—The Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment and Condition of Service) Rules, 2019 were notified *vide* this department's notification No. 3202-2019-XXI-B(1), Bhopal on 19th June, 2019 and was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-4 (c) dated 28th June 2019. In Schedule-II of these rules following correction are made, namely:—

1. Against serial No. 1, in column No. 5, between the words "appointed as" and "System Officer", the words "District Judge" shall be deleted.

2. Against serial No. 2, in column No. 5, between the words "appointed as" and "Assistant", for the words "District Judge" the words "System Officer/System", shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18.07.2019

क्रमांक एफ. 2–7/2019/सात/शा.7

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 के "भाग–3 अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रति का प्रदाय" से संबंधित नियमों में, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जून, 2019 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 56 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् –

56."प्रतिलिपि शुल्क निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा.–

दर रूपयों में

क्रमांक	**अभिलेखों का विवरण**	**प्रथम पृष्ठ के लिए फीस**	**प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए फीस**
1.	एक साला/पांच साला खसरा, या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए	30.00	15.00
2.	वजिब–उल–अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए	30.00	15.00
3.	ए–4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए	30.00	15.00।"।

2. नियम 56 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

"**56क.** मध्यप्रदेश भू–अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की अनुशंसा पर, नियम 56 के अधीन प्रभारित शुल्क में से राज्य सरकार द्वारा नियत अंश का संदाय प्राधिकृत सेवा प्रदाता को किया जाएगा। प्रभारित शुल्क की शेष राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जाएगी।

56ख. प्रतिलिपि फीस आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा विहित रीति में संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण : नियम 56क एवं 56ख के प्रयोजन के लिए,–

1. "मध्यप्रदेश भू–अभिलेख प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख में पंजीकृत समिति।
2. "प्राधिकृत सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है भू–अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने हेतु आयुक्त, भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्रमांक एफ. 2–7/2019/सात/शा.7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2–7/2019/सात/शा.7 दिनांक 18.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

नि:शुल्क आवेदन कर नवीन दर पर नकल प्राप्त करें

भू-अभिलेख प्रतिलिपि हेतु लागू नवीन दरें।			(दरें रूपये में)
क्र	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ
1	खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
2	बी-1 की प्रतिलिपि	30.00	15.00
3	नक्शा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
4	खाताबार खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00

नागरिक, भू-अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिप वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in से ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है-

- नागरिक स्वयं को https://mpbhulekh.gov.in पर यूजर के तौर रजिस्टर करें।
- सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिग/ UPI द्वारा करें।
- 30 मिनिट पश्चात् डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि प्राप्त करें।

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश